संख्या:2/2018/1132/आठ-1-18-106विविध/2018

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
   समस्त विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
2. **उपाध्यक्ष,**
   उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।
3. **अध्यक्ष,**
   समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।
4. **नियंत्रक प्राधिकारी,**
   समस्त विनियमित क्षेत्र,
   उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनांक: 12 जुलाई, 2018**

विषयः-प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप) योजना (वर्ष 2018-2021) के संबंध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या-10/2017/2130/आठ-1-17-36विविध/2017, दिनांक 25.10.2017 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप) योजना की प्रति पे्रषित करते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु उपर्युक्त योजना में कतिपय संशोधन करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप) योजना (वर्ष 2018-2021) तैयार की गयी है।

2- प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप) योजना (वर्ष 2018-2021) की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न योजना के प्राविधानों के अनुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। उपर्युक्त योजना की प्रति विभागीय वेबसाइट **http://awas.up.nic.in** पर उपलब्ध है।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,
नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव

संख्याः2/2018/1132(1)/आठ-1-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन को इस निवेदन के साथ कि कृपया अपने विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर आवश्यक निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत नीति को समस्त संबंधितों को अपने स्तर से उपलब्ध कराते हुए इसे आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
7. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समस्त अनुभाग।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
राजेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:10/2017/2130/आठ-1-17-38विविध/2017

प्रेषक,

मुकुल सिंहल
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2 उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3 अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

4 नियंत्रक अधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनांक: 25 अक्टूबर,2017

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

विषय: प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से, किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप) योजना के संबंध में।

महोदय,

राज्य सरकार का यह मत है कि सभी नागरिकों के पास अपना निजी आवास प्राप्त करने का अवसर हो तथा विशेष रूप से दुर्बल वर्ग के व्यक्तियों को यह सुविधा प्राप्त हो सके।

2- इस उद्देश्य के पूर्ति हेतु भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन का शुभारम्भ दिनांक 25-06-2015 को किया गया है। यह मिशन 2022 तक शहरी क्षेत्र के सभी पात्र परिवारों के लाभार्थियों को आवास प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करेगा। मिशन के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई0डब्ल्यू0एस0) तथा निम्न आय वर्ग (एल0आई0जी0) वाले परिवारों को लाभान्वित किया जाना है। भारत सरकार द्वारा इस मिशन में अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत प्रत्येक ई0डब्ल्यू0एस0 हेतु अनुमन्य अनुदान के लिए केन्द्रांश रू0 1.50 लाख (रू0 एक लाख पचास हजार) निर्धारित किया गया है जबकि रू0 1.00 लाख (रू0 एक लाख) अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक ई0डब्ल्यू0एस0 इकाई के लिए कुल रू0 2.50 लाख (रू0 दो लाख पचास हजार) की सहायता उपलब्ध होगी। प्रत्येक आवास पर अधिकतम 2.00 लाख लाभार्थी से लिया जायेगा। इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप) योजना निर्धारित की जा रही है, जो विभागीय वेबसाइट http://awas.up.nic.in पर उपलब्ध है।

3- अतः प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (अफोर्डेबलहाउसिंग-इन-पार्टनरशिप) योजना की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न नीति के प्राविधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
मुकुल सिंहल
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:10/2017/2130/आठ-1-17 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन को इस निवेदन के साथ कि कृपया अपने विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर आवश्यक निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत नीति की समस्त संबंधितों को अपने स्तर से उपलब्ध कराते हुए इसे आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
7. आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समस्त अनुभाग।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
मुकुल सिंहल
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in